राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.2(6)न्याय/2018 जयपुर, दिनांक: 02-11-2021

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.2(6)न्याय/2018 दिनांक 18.05.2020 की निरन्तरता में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय को इसके सृजन की तिथि से अपने न्यायक्षेत्र की सीमा के लिए बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रकरणों को छोड़कर बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत बाल न्यायालय के रूप में सभी प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा एवं जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र में कार्यरत विशेष न्यायालयों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरित किये गये प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

2/11/2021
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।

3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, जयपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय।
9. पुलिस कमिश्नर, जयपुर महानगर।
10. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

2.11.2024

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव